

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

:- विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति एवं शिक्षकोत्तर कर्मियों को मानदेय को भुगतान के संबंध में मार्गदर्शिका।

राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने एवं GER दर में वृद्धि के लिए सरकार कृत संकल्पित है। कई महाविद्यालयों में भी स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की गई प्रक्रियाधीन है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा CBCS लागू किया गया है तथा अन्य विद्यालयों द्वारा भी इसे लागू करने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जिसमें शिक्षकों की संख्या त होनी चाहिए। अतएव विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारु रूप संचालन के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर तत्कालीक व्यवस्था के तहत घंटी आधारित को की नियुक्ति(संविदा पर) कर शिक्षण कार्य लेने पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

2. स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों की वजह से डिग्री महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तरों की पढ़ाई सुचारु रूप से सम्पन्न हों, इसके लिए निम्न मार्ग दर्शन निरूपित किया जाता

- i) रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति प्रेश विज्ञापित जारी कर कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। चयन समिति में अध्यक्ष के अलावा संबंधित विषय के स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष, एक विषय विशेषज्ञ तथा संबंधित डीन रहेंगे। चयन समिति के सदस्य सचिव कुलसचिव होंगे। चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा विषयवार शिक्षकों का पैनल नियमानुसार तैयार किया जायेगा। ऐसे शिक्षकों को भुगतान का भुगतान उनके द्वारा पढ़ाये गये घंटी के आधार पर होगा।
- ii) संविदा पर नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा, जिसमें रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति की जा रही है, उसके लिए कर्णाकित आरक्षण ही, नियुक्ति में मान्य होगा।
- iii) उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार घंटी आधारित संविदा के लिए निर्धारित विषयवार पैनल अधिकतम 03 वर्षों के लिए मान्य होगा। किन्तु अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए पैनल में प्रत्येक वर्ष नये नाम जोड़े जा सकेंगे।
- iv) घंटी आधारित संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की संख्या उनके रिक्त पदों के विरुद्ध होगी।

